श्री थिमैया

बनाम

शाबिरा व अन्य

(सिविल अपील संख्या 831/2002)

06 फरवरी, 2008

(डॉ.अरिजीत पसायत व पी. सतशिवम, जेजे)

धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

स्थायी निषेधाज्ञा के अनुदत्त करने के लिए वादपत्र - सम्पत्ति के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए प्रत्यर्थियों द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने का मुकदमा विचारण न्यायालय द्वारा खारिज किया गया - उच्च न्यायालय द्वारा अपील की अनुमति - अपील पर माना गयाः निषेधाज्ञा दिए जाने से पहले वादी को यह दिखाना होगा कि वह प्रश्नगत सम्पत्ति के कब्जे में था। विचारण न्यायालय ने कब्जे के महत्वपूर्ण मुददे पर विचार किया और इसे नकारात्मक माना। उच्च न्यायालय ने न तो प्रश्न तैयार किया और न ही कब्जे के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष दर्ज किया। इसलिए अपील पर निर्णय के लिए कब्जे पर प्रश्न तैयार करने के लिए उच्च न्यायालय को मामला प्रतिप्रेषित कर निर्देश जारी किए गए।

प्रत्यर्थी सं.1 ने एक पंजीकृत बिक्री विलेख के तहत प्रत्यर्थी सं.3 से अस्थायी ढांचा के साथ कतिपय भूमि खरीदी। जब प्रत्यर्थियों (प्रत्यर्थी सं.1 और उसके पति-प्रत्यर्थी सं.2) ने ढांचा (संरचना) को ध्वस्त करना शुरू कर दिया तो अपीलार्थी ने प्रश्नगत सम्पत्ति के शांतिपूर्ण कब्जे और उपभोग में हस्तक्षेप किया और सम्पत्ति पर

अतिक्रमण करने का प्रयास किया। प्रत्यर्थियों द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु एक वाद दायर किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा तीन प्रश्न विरचित किए गए अर्थात्, (i) क्या प्रत्यर्थी सं.1 व 2 मुकदमा दायर करने की तारीख को वाद-पत्र में अनुसूची सम्पत्ति के विधिपूर्ण कब्जे में थे, (ii) क्या अवैध हस्तक्षेप साबित हुआ था, (iii) क्या वादी प्रार्थना के अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा का हकदार था। विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य की विवेचना के पश्चात् मुकदमा खारिज कर दिया गया। व्यथित, प्रत्यर्थी सं.1 व 2 ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी इसलिए वर्तमान अपील पेश हुई।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि वादीगण अपना कब्जा साबित करने में असफल रहे थे और यह कि उच्च न्यायालय द्वारा कब्जे के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया और यहाँ तक कि निर्धारण के लिए बिन्दु तैयार करते समय भी कब्जे के प्रश्न पर कोई विचार नहीं किया गया था।

प्रत्यर्थियों ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि विचारण न्यायालय ने कब्जे के सम्बन्ध में, जो निष्कर्ष दर्ज किए हैं वह रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के विपरीत है। इसलिए उच्च न्यायालय ने अपील को उचित रूप से अनुमति दी है।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि:

1.1 सामान्य सिद्धान्त यह सुस्थापित है कि एक वादी, जो कब्जे में नहीं है वह कब्जे की वापसी का दावा किए बिना राहत का हकदार नहीं है। निषेधाज्ञा दिए जाने से पहले यह दिखाना होगा कि वादी कब्जे में था।(पैरा-5)[510-ई]

1.2 वर्तमान मामले में विवाद्यक बिन्दु सं.1 और 3 जो विचारण न्यायालय द्वारा तय किए गए थे, स्पष्ट रूप से प्रश्नगत सम्पत्ति के कब्जे में इस महत्वपूर्ण पहलू को संदर्भित करते हैं। विचारण न्यायालय ने इन मुददों पर जबाव देते हुए नकारात्मक फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय के इन निष्कर्षों के प्रभाव पर कोई विचार नहीं किया और यहाँ तक कि कब्जे के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष भी दर्ज नहीं किया, इसलिए जैस कि अपीलार्थी ने उचित रूप से तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय अपील की अनुमति नहीं दे सकता था। निर्धारण के लिए बिन्दु तैयार करते समय भी उच्च न्यायालय ने कब्जे से सम्बन्धित प्रश्न को तैयार नहीं किया। इसलिए, कब्जे से सम्बन्धित एक निश्चित बिन्दु तैयार करने और फिर उस प्रश्न के संदर्भ में रिकॉर्ड पर साक्ष्य का विश्लेषण करने और अपील पर निर्णय करने के लिए मामला उच्च न्यायालय को भेजा गया। (पैरा-6,7)[510-एफ, जी, एच; 511-ए]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील नं. 831/2002।

बेंगलुरू स्थित कर्नाटक उच्च न्यायालय के आर.एफ.ए. 598/1998 में पारित निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 18.07.2001 से।

विकास रोजीपुरा व ई.सी. विद्या सागर, अपीलार्थी की ओर से।

एस.एन.भट, एन.पी.एस. पंवार, डी.पी. चतुर्वेदी व किरन सूरी, प्रत्यर्थीगण की ओर से।

न्यायालय का निर्णय डॉ अरिजीत पसायत द्वारा दिया गया।

1. उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुना गया।

2. इस अपील में चुनौती कर्नाटक उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय को दी गई है जिसमें सिविल प्रकिया संहिता 1908 की धारा 96 के तहत

प्रत्यर्थीगणों द्वारा दायर की गई पहली अपील को अनुमति दी गई थी।

3. संक्षेप में तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को नोट किया जाना चाहिएः

उच्च न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा अपील प्रस्तुत की गई थी जो वर्तमान अपील में प्रत्यर्थीगण हैं। वादीगण सं. 1 व 2 पति और पत्नी हैं। वादीगण के अनुसार, वादी सं.1 ने अवलाहल्ली गांव, बैंगलोर दक्षिण तालुका के सर्वेक्षण सं. 37 में साईट नंबर में साई नंबर 43 खरीदी जिसकी माप पूर्व से पश्चिम 45 और उत्तर से दक्षिण 30 थी और पूर्व में पाँचवीं मुख्य सड़क से घिरा हुआ था। पश्चिम में साईट नंबर 46, उत्तर में साईट नंबर 42 और दक्षिण में साईट नंबर 44 है। उनके अनुसार, प्रतिवादी सं.2(यहाँ प्रत्यर्थी सं.3) ने नारायन राव के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के रूप में दिनांक 07.06.1984 को पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा प्रथम वादी के पक्ष में सम्पत्ति बेच दी, खरीद के समय उक्त सम्पत्ति पर एक अस्थायी ढांचा था और एक नई ईमारत बनाने के इरादे से उन्होंने अस्थायी ढांचा को गिरा दिया। जब वादी ने उक्त ढांचा को ध्वस्त करना और शुरू किया तो प्रथम प्रतिवादी (यहाँ अपीलार्थी) ने शांतिपूर्ण कब्जे उपभोग में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया और साईट नंबर 42 की खरीद की आड़ में प्रथम प्रतिवादी ने वादी की सम्पत्ति पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया। इसलिए वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध सम्पत्ति के शांतिपूर्ण कब्जे और उपभोग में हस्तक्षेप रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के बाबत् डिक्री और निर्णय के लिए मुकदमा दायर किया।

प्रथम प्रतिवादी ने लिखित कथन प्रस्तुत करते हुए कहा कि उसने सम्पत्ति नागराजा से खरीदी है जो प्रतिवादी सं.3 है और प्रथम प्रतिवादी के पास साईट नंबर 42 का है जिसकी माप 45x60 है। इसलिए, उन्होंने वादीगण का वाद खारिज किए जाने का निवेदन किया।

प्रतिवादी सं.2 ने वादीगण के वाद का समर्थन किया है। प्रतिवादी सं.3 ने कोई जवाब दावा दाखिल नहीं किया है। प्रतिवादी सं.1 के अनुसार प्रतिवादी सं.3 सम्पत्ति का स्वामी है। उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विवाद्यक बिन्दु विरचित किए गएः-

(i) क्या वादी मुकदमा दायर किए जाने की तारीख को वाद-पत्र में अनुसूचित सम्पत्ति का वैध कब्जेदार है?

(ii) क्या अवैध हस्तक्षेप साबित हो गया है?

(iii) क्या वादी प्रार्थना अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है?

वादी सं.2 पी०ड०1 के रूप में परीक्षित हुआ है। प्रतिवादी सं.2/विक्रेता प्रतिवादी सं.1 की ओर से पी०ड० 2 के रूप में परीक्षित हुआ है और प्रदर्श पी-1 लगायत पी-14 तक को प्रदर्शित करवाया गया है। प्रतिवादियों की ओर से प्रतिवादी सं.1 डी०ड०1 के रूप में परीक्षित हुआ है। मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना के पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण के वाद को खारिज किया गया। उक्त निर्णय और डिक्री के विरूद्ध वादीगण द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

यह उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने अपील के निर्धारण के लिए निम्नलिखित बिन्दु तैयार किएः

"क्या प्रथम वादी ने साबित कर दिया है कि प्रतिवादी सं.2 के पास साईट नंबर 43 को अपने पक्ष में अन्तरित करने की शक्ति थी और यदि हाँ, तो क्या वह अपने पक्ष में डिक्री प्राप्त करने की हकदार है?"

उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए अपील स्वीकार कर ली कि वादी सं.1 ने

प्रदर्श पी-1 व पी-2 के मददेनजर साईट नंबर 43 के सम्बन्ध में अपना मामला साबित कर दिया है। प्रतिकूल निष्कर्ष इसलिए निकाला गया क्योंकि प्रतिवादी सं.1 नारायन राव द्वारा प्रतिवादी सं.3 के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी को प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं।

4. यद्यपि अपील के समर्थन में अनेक बिन्दुओं पर तर्क दिया गया, प्रारम्भिक स्थिति वाद के स्थायी निषेधाज्ञा के लिए थी। मूलभूत तथ्य इस प्रकरण में कब्जा स्थापित करना था, विचारण न्यायालय ने क्रमशः विवाद्यक बिन्दु सं. 1 व 3 का निष्कर्ष देते हुए यह माना है कि वादीगण अपना कब्जा साबित करने में असफल रहे हैं। कब्जे के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है और निर्धारण के लिए बिन्दु तैयार करते समय भी कब्जे के सवाल पर विचार नहीं किया गया था।

5. इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पक्षकार स्वामित्व के आधार पर आगे बढ़ें और चूंकि विचारण न्यायालय ने कब्जे के संबंध में निष्कर्ष दर्ज किए, जो रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के विपरीत है, इसलिए उच्च न्यायालय ने अपील की अनुमति दी है।

निर्विवाद रूप से, मुकदमा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए था और ऐसे मुकदमे में वादी को यह साबित करना होगा कि स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री के हकदार के लिए उसे यह साबित करना है कि वह कब्जे में है। सामान्य सिद्धान्त यह अच्छी तरह से सुस्थापित है कि एक वादी, जो कब्जे में नहीं है। वह कब्जे की वापसी का दावा किए बिना राहत का हकदार नहीं है। निषेधाज्ञा दिए जाने से पहले यह देखना होगा कि वादी का कब्जा था।

6. मौजूदा मामले में, विवाद्यक बिन्दु सं.1 व 3 जो 1.10.1988 को विरचित

किए गए थे, स्पष्ट रूप से इस महत्वपूर्ण पहलू को संदर्भित करते हैं। विचारण न्यायालय ने उपर्युक्त बिन्दु पर नकारात्मक निष्कर्ष दिया है। दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने इन निष्कर्षों के प्रभाव पर विचार नहीं किया, यहाँ तक कि कब्जे के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष भी दर्ज नहीं किया है। इसलिए अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा सही रूप से तर्क दिया गया है। उच्च न्यायालय अपील की अनुमति नहीं दे सकता था जैसा कि, ऊपर उल्लेख किया गया है कि बिन्दु निर्धारण करते समय भी उच्च न्यायालय ने कब्जे से सम्बन्धित प्रश्न को तैयार नहीं किया है।

7. उपरोक्त परिस्थितियों में हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को अपास्त करते हैं और कब्जे से सम्बन्धित एक निश्चित बिन्दु तैयार करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हैं और फिर उस प्रश्न के संदर्भ में रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए अपील का निर्णय करें।

8. चूंकि मामला लम्बे समय से लम्बित है, इसलिए उच्च न्यायालय से अपील का यथाशीघ्र अधिमानतः से अगस्त 2008 के अन्त तक निपटारा करने का अनुरोध किया गया है।

9. उपरोक्त सीमा तक अपील खर्चे के सम्बन्ध में कोई आदेश दिए बिना स्वीकार की जाती है।

एस.के.एस.

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मोहित द्विवेद्वी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।